भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1835
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण

1835 # श्रीमती दर्शना सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल के वर्षों में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने भारतीय पुलिस बल की समग्र व्यावसयिकता एवं दक्षता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किया है;
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पुलिसिंग के क्षेत्र मे सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को अपनाने के लिए अकादमी द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और
(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – II (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है। पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

जहां तक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) का संबंध है, यह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए बुनियादी के साथ-साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त, एसवीपीएनपीए देश के भीतर राज्य पुलिस अकादमियों की आंतरिक (इन-हाउस) क्षमताओं का स्तरोन्नयन करने और साथ ही, पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दिनांक 11.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1835

इस अकादमी ने नए भर्ती आईपीएस को उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए जाने वाले ज्ञान, कौशल और व्यवहार संबंधी पहलुओं की कमियों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) का आयोजन किया है। इस विश्लेषण के निष्कर्षों के आधार पर, वर्ष 2021 से पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। नए दांडिक कानूनों अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद, इन कानूनों को भी आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

अकादमी ने पुलिस व्यवस्था में उभरती हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। इनमें अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), साइबर अपराध की प्रवृत्तियां, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रैक्टिकल सिमुलेशन एक्सरसाइज, नैतिक और मानव अधिकार, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, पुलिस व्यवस्था को सहानुभूतिपूर्ण और सांस्कृतिक तौर पर संवेदनशील बनाने के लिए सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करना, बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार और विभिन्न राज्य पुलिस अकादमियों हेतु बातचीत संबंधी कौशल शामिल हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अकादमी में एक विशेष रणनीतिक विंग (एसटीडब्ल्यू) गठित किया गया है, ताकि आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटा जा सके।

इन बदलावों के प्रभाव का पता लगाने और बाद में यथा आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित मूल्यांकन और फीडबैक तंत्र स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रशिक्षण परिणामों में सतत सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ): अकादमी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए द फेडरल लॉ इंफोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश पुलिस अकादमी, मालदीव पुलिस सर्विस जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और उज्बेकिस्तान गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के शीर्ष क्षमता संवर्धन प्लेटफार्म, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संघ के अंतर्गत, एसवीपीएनपीए विदेशी राष्ट्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए विभिन्न विशेषीकृत

पाठ्यक्रम आयोजित करती है। पिछले 3 वर्षों में, विभिन्न देशों के 206 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय पुलिस बल द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के संबंध में एक तुलनात्मक समझ विकसित करना और अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना तथा पूरे विश्व की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना है।

उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु नवाचारी प्रणालियों का पता लगाने और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए, एसवीपीएनपीए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपर्युक्त विषय-वस्तु पर सत्र आयोजित करने के लिए विदेशी राष्ट्रों के प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित करती है।

*****